

प्रेस नोट-

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना टोड़ीफतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार, वारण्टियों को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.08.2025 को थाना टोड़ीफतेहपुर पुलिस द्वारा वारण्टी धर्मेन्द्र अहिरवार पुत्र प्यारेलाल उम्र करीब 36 वर्ष नि0 ग्राम छिरौरा पोस्ट पण्डवाहा थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी सम्बन्धित वाद सख्या 628/25 धारा 128 CRPC/147 बी.एन.एस.एस. व वारण्टी पर्वत उर्फ हल्के पुत्र वृजलाल कुशवाहा निवासी ग्राम बुढाई थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी सम्बन्धित केस नं0 65/25 अ.स. 155/24 धारा 4/25 आम्स एक्ट के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं का अनुपालन कराते हुये वारण्टी 1. धर्मेन्द्र अहिरवार, 2. पर्वत उर्फ हल्के उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता वारण्टी-

- 1- धर्मेन्द्र अहिरवार पुत्र प्यारेलाल उम्र करीब 36 वर्ष नि0 ग्राम छिरौरा पोस्ट पण्डवाहा थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी ।
- 2- पर्वत उर्फ हल्के पुत्र वृजलाल कुशवाहा निवासी ग्राम बुढाई थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1- श्री अतुल कुमार राजपूत, थानाध्यक्ष टोड़ीफतेहपुर, जनपद झाँसी ।
- 2- उ0नि0 श्री भँवर सिंह, थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी ।
- 3- का0 187 अमित कुमार पाण्डेय, थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी ।